आवश्यक/महत्वपूर्ण

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

टावर-2, पंचम तल, पुलिस मुख्यालय, गोमती नगर विस्तार लखनऊ ।

पत्रसंख्या-डीजी-1-सी-वि0कार्य0निर्देश-2025 दिनांक:लखनऊ:मार्च 20 2025

सेवा में,

1-समस्त पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश ।

2-समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश ।

3-समस्त पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।

4-समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।

विषय- अखिल भारतीय पुलिस सेवायें(अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1969 के नियम-8 के अन्तर्गत भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के विरूद्ध प्रचलित विभागीय कार्यवाही में जांच सम्पादित कर जांच आख्या शासन को प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में जांच अधिकारियों हेतु दिशा-निर्देश ।

....

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन द्वारा अपने पत्र संख्या-310/छ:पु0से0-2-2025 दिनांक 17-3-2025(छायाप्रति संलग्न द्वारा अवगत कराया गया है कि अखिल भारतीय सेवायें(अनुशासन एवं अपील)नियमावली 1969 के नियम-8 के अन्तर्गत सेवारत/सेवानिवृत्त आई0पी0एस0 अधिकारियों के विरूद्ध प्रचलित विभागीय कार्यवाही में जांच आख्या के आधार पर निर्णय लिये जाने के उपरान्त दण्ड विनिश्चय के सम्बन्ध में परामर्श हेतु प्रस्ताव संघ लोक सेवा आयोग/गृह मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा जाता है, जिसमें संघ लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित चेक लिस्ट के अनुसार अभिलेख भी संलग्न कर प्रेषित किये जाने भी अनिवार्य होते हैं ।

2- उक्त संदर्भ में शासन द्वारा संज्ञानित किया गया है कि भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के विरूद्ध प्रचलित विभागीय कार्यवाहियों में नियुक्त किये गये जांच अधिकारियों द्वारा निर्धारित चेक लिस्ट के अनुसार अभिलेख उपलब्ध न कराने के कारण संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श प्राप्त नहीं हो पाता है, जिसके कारण विभागीय कार्यवाहियों के निस्तारण में प्रतिकूल/विषम परिस्थिति उत्पन्न होती है ।

3- उक्त परिस्थितियों में उ0प्र0 शासन द्वारा अपने पत्र दिनांक 14-6-2024 (छायाप्रति संलग्न) का उल्लेख करते हुए जांच आख्या के साथ आवश्यक/अनिवार्य अभिलेखों को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में यह निर्देश निर्गत किये गये हैं कि अखिल भारतीय सेवायें(अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1969 के नियम-8 के अन्तर्गत भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के विरूद्ध प्रचलित विभागीय कार्यवाही में जांच आख्या के साथ निम्नलिखित तालिका में अंकित बिन्दुओं पर वांछित सूचना से सम्बन्धित अभिलेख भी तैयार कराकर जांच अधिकारियों द्वारा शासन को उपलब्ध कराये जायें:-

1	**Daily Order Sheets maintained by the Inquiry Officer, indicating the progress of oral inquiry (Signature/legible copies of duly authenticated)**
2	**Correspondence of Inquiry Officer if any, with the Disciplinary Authority or the charged officer**
3	**(i)Depositions-oral statements, recorded from Prosecution Witness(PW) and defence witnesses. (ii)Statements of defence of the charged officer. (iii)Whether copies of relevant documents have been supplied to the charged officer (Provide copy of such Document) (iv)Exhibits (Attachments of Relevant Document in original/legible copies of duly authenticated) (a) Prosecution (b) Defence**
4	**General examination of the charged officer (According to Rule 8(19) of AIS(D&A) rules, 1969) G.E: The inquiring authority may, after the member of the Service closes his case, and shall, if the member of the Service has not examined himself, generally question him on the circumstances appearing against him in the evidence for the purpose of enabling the member of the service to explain any circumstances appearing in the evidence against him.**
5	**(i)Written brief, if any, submitted by the Presenting Officer. (ii)Evidence of the copy of brief of Presenting Officer supplied to the charged officer. (Provide a authenticated copy)**
6	**Written brief, if any, submitted by the charged officer**
7	**Inquiry Officers report**
8	**(i) Whether Inquiry Officers report provided to the charged officer. (Provide a authenticated copy) (ii)Whether disagreement of the Disciplinary Authority, if any, on the report of the Inquiry Officer, communicated to the Charged officer. (iii) Representation of the charged officer on the findings of the Inquiry Officer.**
9	**Para-wise comments of the Disciplinary Authority on the representation of the charged officer, if any (to be prepare at Disciplinary Authority Level)**

4- उपरोक्त तालिका में अंकित बिन्दुओं पर सूचना/अभिलेख तैयार कराकर उनका अंकन पृथक-पृथक कराकर जांच आख्या के साथ शासन को फोल्डर-1 व 2 में उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित होगा ।उक्त के साथ ही डी0ओ0पी0टी0, भारत सरकार द्वारा अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के विरूद्ध प्रचलित विभागीय कार्यवाही को सम्पादित/निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में जांच अधिकारी/अनुशासनिक प्राधिकारी हेतु आवश्यक दिशानिर्देश **HANDBOOK FOR INQUIRY OFFICERS AND DISCIPLINARY AUTHORITIES** में प्राविधानित किये गये हैं, जिसकी प्रति इन्टरनेट पर उपलब्ध है ।

5- विभागीय कार्यवाही को सम्पादित/निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में जांच अधिकारी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश **THE ALL INDIA SERVICES(DISCIPLINE AND APPEAL) RULES, 1969** के **RULE-8** के उपनियमों में जांच आख्या तैयार पूर्ण किये जाने हेतु स्पष्ट प्राविधान किये गये हैं, उनका संज्ञान लेकर जांच आख्या प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है ।

6- अतः अनुरोध है कि कृपया भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही में जांच सम्पादित किये जाने हेतु उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया को अपनाते हुए पूर्ण किया जाय

और जांच आख्या शासन को प्रेषित करते समय उ0प्र0 शासन के संलग्न पत्र दिनांक 17-3-2025 में वर्णित निर्देशों का अक्षरशः पालन करने का कष्ट करें ।

<u>संलग्नक-यथोपरि।</u>

20/3

(शलभ माथुर)
पुलिस महानिरीक्षक(कार्मिक)
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि श्री योगेश कुमार, विशेष सचिव, गृह(पुलिस सेवायें)अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन लखनऊ को उनके उक्त संदर्भित पत्र संख्या-310/छ:पु0से0-2-2025 दिनांक 17-3-2025 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

संख्या-657/छः पु०से०-2-2024

प्रेषक,

मनोज कुमार पाण्डेय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

गृह(पुलिस सेवायें) अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक:14-06-2024

विषय: अखिल भारतीय सेवायें(अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1969 के नियम-8 के अन्तर्गत सेवारत/ सेवानिवृत आईपीएस अधिकारियों के विरुद्ध प्रचलित विभागीय कार्यवाही में जांच आख्या के अतिरिक्त अन्य बिन्दुओं पर भी सूचना/आख्या/अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराया जाता है कि अखिल भारतीय सेवायें(अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1969 के नियम-8 के अन्तर्गत सेवारत/ सेवानिवृत आईपीएस अधिकारियों के विरुद्ध प्रचलित विभागीय कार्यवाही में जांच आख्या के आधार पर निर्णय लिये जाने के उपरान्त दण्ड विनिश्चय के सम्बन्ध में परामर्श हेतु प्रस्ताव संघ लोक सेवा आयोग/ गृह मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा जाता है, जिसमें संघ लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित चेक लिस्ट के अनुसार अभिलेख भी संलग्न कर प्रेषित किये जाने भी अनिवार्य होते हैं।

2. सेवारत/ सेवानिवृत आईपीएस अधिकारियों के विरुद्ध प्रचलित विभागीय कार्यवाही में जो जांच आख्या शासन में प्राप्त हुई है और जिसमें संघ लोक सेवा आयोग/ गृह मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्ताव भेजे गये है उनमें चेक लिस्ट के अनुसार अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श प्राप्त नही हो पा रहा है, जिसके कारण विभागीय कार्यवाही का निस्तारण नही हो पा रहा है।

3. उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अखिल भारतीय सेवायें(अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1969 के नियम-8 के अन्तर्गत सेवारत/ सेवानिवृत आईपीएस अधिकारियों के विरुद्ध प्रचलित विभागीय कार्यवाही में जांच आख्या के साथ निम्न तालिका में अंकित बिन्दुओं पर वांछित सूचना से सम्बन्धित

अभिलेख भी तैयार कराकर शासन को उपलब्ध कराने हेतु जांच अधिकारी को अपने स्तर से समय-समय पर निर्देशित करने का कष्ट करें:-

1	Daily Order Sheets maintained by the Inquiry Officer, indicating the progress of oral inquiry
2	correspondence of the Inquiry Officer if any, with the Disciplinary Authority or the Charged officer
3	(i) Depositions-oral statements, recorded from prosecution witness and defence witnesses (ii) Statements of defence of the Charged Officer (iii) Whether copies of relevant documents have been supplied to the Charged Officer (iv) Exhibits (in original/legible copies duly authenticated) (a) Prosecution (b) Defence
4	General examination of the charged officer (according to Rule 8(19) of AIS (D&A) rules, 1969) The inquiring authority may, after the member of the Service closes his case, and shall, if the member of the Service has not examined himself, generally question him on the circumstances appearing against him in the evidence for the purpose of enabling the member of the Service to explain any circumstances appearing in the evidence against him.)
5	(i) Written brief, if any, submitted by the Presenting Officer (ii) Whether a copy of brief of Presenting Officer supplied to the Charged Officer.
6	Written brief, if any, submitted by the Charged Officer
7	Inquiry Officer's report
8	(i) Whether Inquiry Officer's report provided to the charged officer. (ii) Whether disagreement of the Disciplinary Authority, if any, on the report of the Inquiry Officer, communicated to the Charged Officer. (iii) Representation of the charged Officer on the findings of the Inquiry Officer.
9	Para-wise comments of the Disciplinary Authority on the representation of the Charged Officer, if any

4. उपरोक्त तालिका में अंकित बिन्दुओं पर सूचना/अभिलेख तैयार कराकर उनका अँकन पृथक-पृथक कराकर फोल्डर-2 के रूप में जांच आख्या (फोल्डर-1) के साथ शासन को उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है।

5. उक्त के साथ ही डी0ओ0पी0टी0, भारत सरकार द्वारा अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के विरूद्ध प्रचलित विभागीय कार्यवाही को सम्पादित/निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में जांच अधिकारी/अनुशासनिक प्राधिकारी हेतु आवश्यक दिशानिर्देश HANDBOOK FOR INQUIRY OFFICERS AND DISCIPLINARY

AUTHORITIES में प्राविधानित किये गये है, जिसकी प्रति जांच अधिकारी की सुविधा हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

6- विभागीय कार्यवाही को सम्पादित/निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में जांच अधिकारी हेतु आवश्यक दिशानिर्देश THE ALL INDIA SERVICES (DISCIPLINE AND APPEAL) RULES,1969, के rule-8 के उपनियमों में जांच आख्या तैयार पूर्ण किये जाने हेतु स्पष्ट प्राविधान किये गये है, उनका संज्ञान लेकर जांच आख्या प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

संलग्नक- डी0ओ0पी0टी0, भारत सरकार का पत्र दिनांक 25.09.2013 तथा 28.12.2018 मय संलग्नक।

भवदीय,

(मनोज कुमार पाण्डेय)
अनु सचिव

Signed by
Manoj Kumar Pandey
ishome.ps2@up.gov.in/shome
Date: 14-06-2024 10:55:36

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार पाण्डेय)
अनु सचिव।